ब्राजील गणराज्य की सरकार

तथा

भारत गणराज्य की सरकार

के बीच

विमान सेवा करार

गुप्त

भारत गणराज्य की सरकार तथा ब्राजील की सरकार, जिन्हें (एतद्पश्चात् पक्ष के रूप में संदर्भित किया गया है।

7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किए गए अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के संबंधित पक्ष होने के नाते;

अपने संबंधित राज्य क्षेत्रों के बीच अन्तरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के संवर्धन के इच्छुक होते हुए;

एयरलाइनों के बीच प्रतिस्पर्द्धा के आधार पर अंतरराष्ट्रीय विमानन प्रणाली प्रोत्साहित करने की इच्छा से;

अन्तरराष्ट्रीय विमान सेवाओं में संरक्षा तथा सुरक्षा के उच्चतम स्तर को सुनिश्चित करने तथा विमान की सुरक्षा के विरूद्ध कृत्यों तथा धमकियों के बारे में ध्यान देते हुए, जिससे व्यक्तियों (यात्रियों) तथा परिसम्पत्तियों की सुरक्षा प्रभावित होती है, विमान सेवाओं के प्रचालन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो तथा नागर विमानन की संरक्षा के प्रति जनता के विश्वास में कमी आती हो;

निम्न प्रकार से सहमत हुई है :-

अनुच्छेद - 1

परिभाषा

इस करार के प्रयोजनार्थ जहां पाठ में अन्यथा अपेक्षा नहीं की गई हो:

(क) "वैमानिकी प्राधिकारी" पद से अभिप्राय, ब्राजील के मामले में, राष्ट्रीय नागर विमानन एजेंसी (एएनएसी) के प्रतिनिधित्व द्वारा नागर विमानन प्राधिकरण तथा भारत के मामले में नागर विमानन महानिदेशक अथवा इसके उत्तराधिकारी अथवा कोई व्यक्ति अथवा निकाय जिसे उक्त प्राधिकारियों द्वारा इस समय किए; जा रहे कार्यों के निष्पादन के लिए प्राधिकृत किया गया हो;

(ख) "करार" पद में इसका अनुबंध और इसमें अथवा इस करार में किया गया संशोधन भी शामिल है; तथा

(ग) "क्षमता" पद का अभिप्राय करार के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई सेवा से है, जिसे सामान्यत: उड़ानों की संख्या (आवृत्ति) या सीट या बाजार में उपलब्ध टनों कार्गो (शहर युग्म, या देश से देश) या विशिष्ट अवधि के दौरान एक मार्ग पर, जैसे दैनिक, साप्ताहिक, मौसमी या वार्षिक आधार पर; से है

(घ) "अभिसमय" पद का अभिप्राय 07 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हुए हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय से है और इसमें उस अभिसमय के अनुच्छेद 90 के अन्तर्गत स्वीकृत कोई भी अुनबंध तथा उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 94 अथवा 90 के अर्न्तगत उक्त अनुबंधों अथवा अभिसमय में किया गया कोई भी संशोधन शामिल है, जहां तक वे अनुबंध तथा संशोधन दोनों पक्षों के लिए प्रभावी हो गए हो;

(ड) "नामित एयरलाइन" पद का अभिप्राय ऐसी एयरलाइन से है जिसे इस करार के अनुच्छेद 3 के अनुसार नामित और प्राधिकृत किया गया हो;

(च) "मूल्य" पद का अभिप्राय यात्रियों और उनके सामान के वहन और/ अथवा कार्गो, डाक को छोड़कर, एयरलाइनों जिसमें उनके एजेंट भी शामिल हैं द्वारा वसूले जाने वाले विमान सेवा प्रमाणन के लिए किसी किराया, दर अथवा प्रभार से है तथा वे शर्तें भी हैं जो इस प्रकार के किराए, दर अथवा प्रभार की उपलब्धता को भी शामिल करती हैं ;

(छ) किसी देश के संदर्भ में "राज्यक्षेत्र पद" से अभिप्राय वही है जो अभिसमय के अनुच्छेद 2 में इसके लिए निर्धारित किया गया है;

(ज) "प्रयोक्ता प्रभार" पद से अभिप्राय, उस प्रभार से है जो विमानों, उनके कर्मीदलों, यात्रियों तथा कारगो हेतु संबद्ध सेवाओं तथा सुविधाओं सहित हवाईअड्डा परिसम्पत्ति या सुविधाओं के अथवा विमान दिक्चालन सुविधाओं के प्रावधान के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा एयरलाइनों पर लगाया गया हो अथवा लगाए जाने की अनुमति दी गई हो ।

(झ) "विमान सेवा" "अन्तरराष्ट्रीय विमान सेवा" "एयरलाइन" तथा "गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए रूकना" पदों से अभिप्राय क्रमश: वही होगा जो अभिसमय के अनुच्छेद 96 में इनके लिए निर्धारित किया गया है ;

अनुच्छेद-2

अधिकारों की मंजूरी

1. प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को इस करार के साथ संलग्न अनुसूची के उपयुक्त खण्ड में निर्दिष्ट मार्गों पर अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं को स्थापित करने के प्रयोजनार्थ इस करार में निर्दिष्ट अधिकारों की मंजूरी देता है। इसके आगे, इस प्रकार की सेवाओं तथा मार्गों को क्रमश: "सहमत सेवाएं" और "विनिर्दिष्ट मार्ग" कहा जाएगा।

2. इस करार के उपबंधों के अध्यधीन, प्रत्येक पक्ष द्वारा नामित विमानकंपनी (कंपनियों) को निम्नलिखित अधिकार होंगे प्राप्त :-

क. बिना अवतरण किए दूसरे पक्ष के राज्यक्षेत्र के पार उड़ान भरना;

ख. दूसरे पक्ष के राज्यक्षेत्र में गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए रूकना; तथा

ग. विनिर्दिष्ट मार्ग पर सहमत सेवा का प्रचालन करते समय, प्रत्येक पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को इस प्रकार की अनुसूची में उस मार्ग के लिए उल्लिखित स्थल (स्थलों) पर दूसरे पक्ष के राज्यक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय यातायात में यात्रियों सामान अथवा डाक सहित कार्गो के अलग-अलग अथवा सम्मिलित रूप में चढ़ाने और उतारने का भी अधिकार होगा।

घ. इस करार में निर्दिष्ट अन्य अधिकार

3. इस करार के अनुच्छेद 3 (नामन व प्राधिकरण) के अंतर्गत नामित उन एयरलाइन (एयरलाइनों) से भिन्न, प्रत्येक पक्ष की विमानकंपनी (कंपनियों) को भी इस अनुच्छेद के पैरा (2) के उप-पैरा (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अधिकार प्राप्त होंगे।

4. इस अनुच्छेद के पैरा (2) में किसी भी बात का अर्थ यह नहीं समझा जाएगा कि एक पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को, दूसरे पक्ष के राज्यक्षेत्र में उस दूसरे पक्ष के राज्य क्षेत्र में स्थित अन्य स्थल के लिए जाने वाले यात्रियों तथा डाक सहित कार्गो को विमान में ले जाने का विशेषाधिकार मिल गया है।

अनुच्छेद - 3

एयरलाइनों का नामन तथा प्राधिकरण

1. प्रत्येक पक्ष को अनुबंध में विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाएं प्रचालित करने के प्रयोजनार्थ एक अथवा अधिक एयरलाइनों को नामित करने तथा ऐसे नामन वापस लेने अथवा बदलने का अधिकार होगा। इस प्रकार का नामन लिखित रूप में किया जाएगा तथा इसकी सूचना अन्य पक्ष को राजनयिक माध्यम से दी जाएगी तथा इस बात का पता लगाया जाएगा कि क्या एयरलाइन अनुबंध में विनिर्दिष्ट प्रकार की विमान सेवाएं प्रचालित करने के लिए प्राधिकृत है।

2. इस प्रकार का नामन तथा प्रचालन प्राधिकार तथा तकनीकी अनुमति के लिए निर्धारित फार्म तथा तरीके से नामित विमानकंपनी से आवेदन प्राप्त होने पर, अन्य पक्ष न्यूनतम कार्यविधिक देरी किए बिना उपयुक्त प्राधिकार तथा अनुमति प्रदान करेगा, बशर्ते कि:

क. उस एयरलाइन का सम्पूर्ण स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण उस पक्ष में एयरलाइन, के राष्ट्रिकों अथवा दोनों में निहित है;

ख. नामित एयरलाइन, आवेदन अथवा आवेदनों पर विचार करने वाले पक्ष द्वारा अन्तरराष्ट्रीय विमान सेवाओं का प्रचालन के लिए सामान्य रूप से लागू कानूनों और विनियमों के अधीन निर्धारित शर्तों को पूरा करने में योग्य है, और

ग. एयरलाइन को नामित करने वाला पक्ष अनुच्छेद 7 (संरक्षा) तथा अनुच्छेद 8 (विमान सुरक्षा) में निर्धारित मानकों का अनुरक्षण तथा प्रशासन कर रहा है।

अनुच्छेद-4

प्रचालनिक प्राधिकार का प्रतिसंहरण अथवा निलम्बन

1. दोनों में से कोई भी पक्ष, अन्य पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन को प्रदत्त प्रचालन प्राधिकार को प्रतिसंहरण अथवा निलम्बन कर सकता है अथवा निम्न में से किसी भी स्थिति में जैसी वह आवश्यक समझे शर्तें, लगा सकता है:

 (क) उस एयरलाइन का वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण अन्य पक्ष, अथवा पक्ष के राष्ट्रिकों में निहित नहीं है।

 (ख) वह एयरलाइन इस करार के अनुच्छेद-5 (कानूनों की प्रयोज्यता) में वर्णित कानूनों तथा विनियमों का पालन करने में असफल रहती है;

 (ग) अन्य पक्ष इस करार के अनुच्छेद -7 (संरक्षा) में निर्धारित मानकों का रखरखाव और प्रशासन नहीं कर रहा है।

2. जब तक इस अनुच्छेद के पैरा (1)के उप पैराग्राफ (ख) अथवा (ग) के साथ और आगे अतिलंघन को रोकने के लिए तात्कालिक कार्रवाई करना अनिवार्य न हो इस अनुच्छेद द्वारा स्थापित अधिकारों का निर्वाह अन्य पक्ष के साथ विचार विमर्श के बाद ही किया जा सकेगा।

3. यह अनुच्छेद इस करार के अनुच्छेद-8 (विमानन सुरक्षा) के प्रावधानों के अनुसार अन्य पक्ष की एक एयरलाइन अथवा एयरलाइनों के प्रचालन प्राधिकार अथवा तकनीकी अनुमति पर रोक, प्रति संहरण, सीमा अथवा प्रचालन प्राधिकार पर शर्तें नहीं लगती।

अनुच्छेद-5

कानून की प्रायोज्यता

1. एक पक्ष के अंतरराष्ट्रीय हवाई दिक्चालन में रत विमानों के उसके राज्यक्षेत्र और वहां से प्रस्थान को अथवा उसमें राज्यक्षेत्र के अन्दर ऐसे विमानों के प्रचालन तथा दिक्चालन और विनियम दूसरे पक्ष की नामित एयरलाइन के विमानों पर लागू होंगे।

2. एक पक्ष के यात्रियों, कर्मीदल और डाक सहित कार्गों उसके राज्यक्षेत्र में प्रवेश, मुकाम और वहां से प्रस्थान को शासित करने वाले कानून और विनियम जैसे पासपोर्ट, सीमाशुल्क, मुद्रा और स्वास्थ्य एवं संगरोध से संबंधित कानून विनियम में उक्त राज्यक्षेत्र के रहते समय दूसरे पक्ष की नामित एयरलाइन के विमानों द्वारा वाहित यात्रियों, कर्मीदल, कार्गो और डाक पर लागू होंगे।

3. दोनों में से कोई भी पक्ष अपने सीमाशुल्क आब्रजन, संगरोध तथा ऐसे ही विनियमों के अनुप्रयोग के संबंध में इसी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं में रत दूसरे पक्ष की नामित एयरलाइन की तुलना में अपनी स्वयं की अथवा किसी अन्य एयरलाइन को तरजीह नहीं देगा।

4. दोनों में से किसी भी पक्ष के राज्यक्षेत्र में सीधे पारगमन करने वाले यात्री सामान कार्गो और डाक अत्यधिक सरलीकृत नियंत्रण से अधिक के अधीन नहीं होंगे। सीधे पारगमन वाला सामान और कागों, सीमाशुल्क और इसी प्रकार के अन्य करों से मुक्त होगा।

अनुच्छेद-6

<u>प्रमाणपत्रों और लाइसेंसों को मान्यता</u>

1. प्रचालन के उद्देश्य से एक पक्ष द्वारा जारी या वैध तथा अभी भी लागू उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र, सक्षमता प्रमाणपत्र तथा लाइसेंसों को अन्य पक्ष द्वारा भी वैध माना जाएगा बशर्ते अपेक्षाएं जिनके अन्तर्गत ऐसे प्रमाणपत्र तथा लाइसेंस जारी किए गए थे या वैध माने गए थे, वे अभिसमय के अनुसार स्थापित न्यूनतम मानकों के समान या ऊपर हों।

2. यदि उपर्युक्त पैरा 1 में संदर्भित विशेषाधिकार या लाइसेंस या प्रमाणपत्र की शर्तें, जो एक पक्ष की वैमानिक प्राधिकरणों द्वारा किसी व्यक्ति या नामित एयरलाइंस को या सहमत सेवाओं के प्रचालन में प्रयुक्त एयरलाइन के संबंध में नामित एयरलाइन, अभिसमय के अन्तर्गत न्यूनतम मानकों के अन्तर्गत की अनुमति देते हैं और जो अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन में फाइल किए गए हैं, तो अन्य पक्ष प्रश्नगत पद्धति के स्पष्टीकरण के उद्देश्य से वैमानिकी प्राधिकरणों के मध्य परामर्श के लिए अनुरोध कर सकता है।

3. बहरहाल, प्रत्येक पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह अन्य पक्ष द्वारा अपने स्वयं के नागरिकों को प्रदत्त प्रमाणपत्रों को अपने स्वयं के क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरने या अवतरण के उद्देश्य से उनकी मान्यता से इनकार कर सकता है।

अनुच्छेद - 7

संरक्षा

1. प्रत्येक पक्ष, वैमानिकी सुविधाओं, विमानकर्मी, विमान और नामित एयरलाइनों के प्रचालन से संबंधित, अन्य पक्ष की नामित विमान कम्पनी के संबंध में संरक्षा मानकों के अनुरक्षण पर विचार-विमर्श का अनुरोध कर सकता है। ऐसे परामर्श पक्षों के बीच सहमत अनुसार, अनुरोध के 30 दिनों के भीतर या कोई लम्बी अवधि के भीतर किए जाएंगे।

2. यदि इस प्रकार के विचार-विमर्श के बाद एक पक्ष को पता चलता है कि अन्य पक्ष पैरा 1 में संदर्भित क्षेत्रों के ऐसे किसी क्षेत्र में जो कि अभिसमय स्थापित न्यूनतम मानकों के कम से कम समान हो, में सुरक्षा मानकों का प्रभावपूर्ण ढंग से अनुरक्षण या प्राशसित नहीं कर रहा है तो प्रथम पक्ष दूसरे पक्ष को इन निष्कर्षों तथा इन न्यूनतम मानकों की पुष्टि के लिए आवश्यक उपायों से अवगत करेगा तथा अन्य पक्ष उपयुक्त निवारात्मक कार्रवाई करेगा ।

3. प्रत्येक पक्ष के पास, अन्य पक्ष की नामित एयरलाइन की प्रचालन प्राधिकार को निलम्बन करने अथवा सीमा निर्धारित करने का अधिकार आरक्षित है तथा ऐसा उस समय पर किया जाना है जब अन्य पक्ष 30 दिनों के अन्दर उपयुक्त निवारक कार्रवाई नहीं करती है।

4. इस बात पर सहमति हुई है कि अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र के लिए अथवा सेवाओं पर एक पक्ष की एयरलाइन (एयरलाइनों) की ओर से एक लीज करार के अधीन सहित अथवा द्वारा प्रचालित कोई भी विमान अन्य पक्ष के राज्यक्षेत्र के अधीन रहते हुए, अन्य पक्ष के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जांच के अधीन होंगे, जो विमान पर तथा इसके लिए होंगे जिससे विमान के दस्तावेजों की वैधता तथा इसके कर्मियों दोनों की जांच की जा सके तथा विमान और इसके उपस्कर (इस अनुच्छेद में रैम्प निरीक्षण कहा गया है) की जांच की जा सके बशर्ते कि इससे बिना कारण कोई देरी न हो।

5. यदि इस प्रकार के रैम्प निरीक्षण अथवा बड़ी मात्रा में रैम्प निरीक्षणों से निम्नलिखित बातें सामने आते हैं-

(क) वह कोई भी गंभीर बात जिससे किसी विमान अथवा एक विमान के प्रचालन, अभिसमय से पहले उस समय स्थापित न्यूनतम मानकों के अनुरूप पालन नहीं किया जा रहा हो;

(ख) वह कोई भी गम्भीर बात कि अभिसमय से पहले उस समय स्थापित संरक्षा मानकों के प्रभावी अनुरक्षण तथा प्रशासन की कमी पाई गई है;

अभिसमय के अनुच्छेद 33 के प्रयोजन के लिए संविदाकारी पक्ष द्वारा किया गया निरीक्षण इस दृष्टि से स्वतंत्र रूप से किया जाएगा कि जिससे यह निष्कर्ष निकले कि उस विमान अथवा इस विमान के कर्मीदल के संबंध में प्रमाण पत्र अथवा लाइसैंस की अपेक्षाएं जारी की गई थी अथवा वैध कराई गई अथवा वे अपेक्षाएं जिसके अधीन विमान प्रचालन कर रहा है अभिसमय के बाद स्थापित न्यूनतम मानक के बराबर अथवा उनसे ऊपर नहीं है।

6. यदि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 4 के अनुसार एक पक्ष की विमान कमपनी तथा विमान कम्पनियों द्वारा प्रचालित एक विमान के रैम्प निरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए उस एयरलाइन (एयरलाइनों) के प्रतिनिधि द्वारा मना कर दिया जाता है, तब अन्य पक्ष इस अनुच्छेद के पैराग्राफ-(5) में वर्णित किस्म के गंभीर पक्ष में हस्तक्षेप के लिए स्वतंत्र होगी। इस पैराग्राफ में वर्णित निष्कर्ष निकालेगी।

7. प्रत्येक पक्ष को प्रथम पक्ष के इस निष्कर्ष पर तत्काल ही अन्य एक एयरलाइन (एयरलाइनों) के प्रचालन प्राधिकार में अंतर करने अथवा अधिकारों के निलम्बन का अधिकार होगा चाहे इसका पता एक रैम्प निरीक्षण से चले, कई रैम्प निरीक्षण से चले, रैम्प निरीक्षण के लिए मनाही से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, परामर्श अथवा अन्यथा तब एयरलाइन प्रचालन की संरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करना अनिवार्य होता हो।

8. पैराग्राफ (3) अथवा (7) के अनुसार एक पक्ष द्वारा कोई कार्रवाई बन्द कर दी जाएगी यदि एक बार ऐसी कार्रवाई किया जाना अपेक्षित हो।

अनुच्छेद - 8

विमानन सुरक्षा

1. अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों के अनुरूप, पक्ष पुन: इस बात की पुष्टि करते हैं कि गैर-कानूनी हस्तक्षेप की कार्रवाई के विरूद्ध नागर विमानन सुरक्षा का बचाव करने के बारे में एक-दूसरे के प्रति उनका दायित्व इस वर्तमान करार का अभिन्न अंग है। अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों के सामान्यीकरण को सीमाबद्ध किए बिना, प्रत्येक पक्ष 14 सितंबर, 1963 को टोक्यो में हस्ताक्षरित विमान में उड़ान के समय किए अपराधों और कुछ अन्य कार्रवाइयों, 16 दिसंबर, 1970 को हेग में हस्ताक्षरित विमान के

गैर-कानूनी अभिग्रहण निवारण अभिसमय और 23 सितंबर, 1971 को मांट्रियल में हस्ताक्षरित नागर विमानन सुरक्षा के विरूद्ध गैर-कानूनी कार्रवाई उन्मूलन अभिसमय और मांट्रियल में 24 फरवरी, 1988 को प्रोटोकाल पर तथा 1 मार्च, 1991 को मांट्रियल में पता लगाने के प्रयोजन के लिए प्लास्टिक विस्फोटकों की मार्किंग तथा विमानन सुरक्षा पर किसी भी अन्य अभिसमय जिसके दोनों पक्ष सदस्य हों।

2. अनुरोध किए जाने पर, पक्ष गैर-कानूनी रूप से सिविल विमानों का अभिग्रहण किए जाने और ऐसे विमान, उसके यात्रियों, कार्मिकों, हवाईअड्डों और विमान दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरूद्ध किसी प्रकार के गैर-कानूनी कृत्यों के बचाव के लिए नागर विमानन सुरक्षा को किसी भी प्रकार की धमकी के लिए आपस में एक-दूसरे को सभी संभव सहायता प्रदान करेंगे।

3. दोनों पक्ष अपने परस्पर संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा स्थापित विमानन सुरक्षा उपबंधों पर समरूप होकर अभिसमय के अनुबंध के रूप में उस सीमा तक कार्य करेंगे जिस सीमा तक पक्षों पर ऐसे सुरक्षा उपबंध लागू होते हैं। वे अपने पंजीकृत विमान प्रचालकों या ऐसे विमान के प्रचालकों, जिनका व्यवसाय का प्रमुख स्थान अथवा स्थाई निवास उनके भू-भाग में है तथा उनके क्षेत्र में हवाईअड्डों के प्रचालकों से यह अपेक्षा करेंगे कि वे इन विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य करें।

4. दोनों में से प्रत्येक पक्ष इस बात से सहमत है कि ऐसे विमान प्रचालकों से, दूसरे पक्ष द्वारा उस पक्ष के भू-भाग में प्रवेश करते समय यहाँ से प्रस्थान करते समय या रहते समय अपेक्षित विमानन सुरक्षा उपबंधों का पालन करने की अपेक्षा की जा सकती है। प्रत्येक पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उसके भू-भाग में विमान की सुरक्षा करने तथा यात्रियों, कर्मीदल, ले जाई जाने वाली वस्तुओं, सामान, कार्गो तथा विमान भंडार विमान में लगाने से पूर्व या उसके दौरान उसकी जांच करने के लिए प्रभावी उपाय किए गए हैं। प्रत्येक पक्ष किसी विशेष स्तर का मुकाबला करने हेतु विशेष उपयुक्त सुरक्षा उपाय करने के लिए दूसरे पक्ष द्वारा किए गए अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा।

5. जब कभी किसी सिविल विमान के गैर-कानूनी अभिग्रहण की धमकी या इस प्रकार की धमकी की घटना होती है या किसी ऐसे विमान, उसके यात्रियों और कार्मिकों, हवाई दिक्चालन सुविधाओं के विरूद्ध कोई और गैर-कानूनी कार्य किया जाता है तो प्रत्येक पक्ष एक-दूसरे को संचार सुविधाएं प्रदान करके और इस प्रकार की घटनाओं अथवा उनके खतरों को तुरंत समाप्त करने के लिए आवश्यक सभी उपयुक्त उपाय करके एक-दूसरे की सहायता करेंगे।

6. यदि एक पक्ष के पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण हो कि अन्य पक्ष इस अनुच्छेद के विमान सुरक्षा प्रावधानों से भटक गया है तो उस पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी अन्य पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों से तुरन्त विचार-विमर्श का अनुरोध कर सकते हैं। इस प्रकार के अनुरोध की तारीख से 15 दिनों के अन्दर संतोषजनक करार न हो पाने की स्थिति में, उस पक्ष की किसी विमानकंपनी अथवा कम्पनियों के प्रचालन प्राधिकार तथा तकनीकी अनुमति को वापस लेने, रोक लगाने सीमित करने अथवा शर्तें लगाने का अधिकार का कारण बन जाएगा। आपातकाल की स्थिति होने पर, एक पक्ष 15 दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व अन्तरिम कार्रवाई कर सकता है।

अनुच्छेद-9

प्रयोक्त प्रभार

1 प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को हवाई अड्डों और अन्य विमानन सुविधाओं का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त प्रभार लगाने अथवा लगाने की अनुमति देने का अधिकार होगा बशर्ते कि ये प्रभार इसी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं में लगी अन्य एयरलाइनों के विमान द्वारा अदा किए जा रहे प्रभार से अधिक नहीं होंगे ।

2 दूसरे पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) पर लगाए जाने वाले प्रयोक्ता प्रभारों में, हवाई अड्डे पर अथवा हवाई अड्डे की प्रणाली के भीतर उपयुक्त हवाई अड्डे, पर्यावरण, हवाई दिक्चालन तथा विमानन सुरक्षा सुविधाओं तथा सेवाओं को प्रदान करने वाले समक्ष प्रभारी प्राधिकारियों की पूर्ण लागत परिलक्षित होगी किन्तु ये प्रभार इन लागतों से अधिक नहीं होंगे। ऐसी पूर्ण लागत में, अवमूल्यन के पश्चात, परिसंपत्तियों पर औचित्यपूर्ण रिटर्न शामिल हो सकती है। जिस सुविधाओं तथा सेवाओं के लिए प्रभार किए जाते हैं उन्हें एक दक्ष तथा किफायती आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा।

3 प्रत्येक पक्ष अपने राज्यक्षेत्र के भीतर सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों तथा सेवाओं तथा सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाली नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के बीच परामर्श को प्रोत्साहित करेगा। प्रत्येक पक्ष सक्षम प्रभारी प्रधिकारियों तथा नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को ऐसी सूचना के आदान प्रदान के लिए प्रोत्साहित करेगा जैसा कि इस अनुच्छेद के पैरा (1) तथा (2) में वर्णित सिद्धांतों के अनुरूप औचित्यपूर्ण सटीक तथा पारदर्शी समीक्षा किए जा सकने के लिए आवश्यक हो। प्रत्येक पक्ष सक्षम प्रभारी

प्राधिकारियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे प्रयोक्ताओं को प्रयोक्ता प्रभार में परिवर्तन संबंधी किसी प्रस्ताव का औचित्यपूर्ण नोटिस दे जिससे प्रयोक्ता इन परिवर्तनों को क्रियान्वित किए जाने से पहले अपने तक व्यक्त कर सके।

4 दोनों में से किसी पक्ष को अनुच्छेद 20 (विवादों का निपटान) के अनुसरण में विवाद निपटान प्रक्रियाओं के संबंध में, इस अनुच्छेद के किसी प्रावधान को भंग करने वाला नहीं माना जाएगा, यदि:

(क) उसने औचित्यपूर्ण समय के भीतर दूसरे पक्ष द्वारा की गई शिकायत के अनुसार चार्ज अथवा प्रैक्टिस की समीक्षा कर ली हो, और

(ख) ऐसी किसी समीक्षा के बाद, किसी चार्ज अथवा प्रैक्टिस, जो इस अनुच्छेद से असंभव हो, के विषय में सुधार संबंधी अपने अधिकार के भीतर सभी उपाय कर लिए हों।

अनुच्छेद-10

सीमा शुल्क

1. प्रत्येक पक्ष पारस्परिकता के आधार पर दूसरे पक्ष की नामित एयरलाइन को इसके विमानों, ईंधन, स्नेहकों, उपभोज्य तकनीकी आपूर्तियों, अतिरिक्त कल पुर्जों जिनमें इंजन भी शामिल है, नियमित विमान उपस्कर, तथा विमान भण्डार जिसमें केवल विमान के प्रचालन अथवा सर्विसेज के संबंध में बिक्री के लिए अथवा उपयोग के लिए प्रवृत्त भोजन, पेय तथा मादक पदार्थ तम्बाकू जैसी मदें शामिल हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है तथा अन्य मदों जैसे मुद्रित टिकट ब्लॉक, एयर वेबिल्स, कोई भी मुद्रित सामग्री जिस पर एक पक्ष की नामित एयरलाइंस को चिन्ह अंकित हो तथा उस नामित एयरलाइन द्वारा प्रभार के बिना वितरित सामान्य विज्ञापन सामग्री जो केवल विमान के प्रचालन अथवा सर्विसेज के संबंध में बिक्री के लिए अथवा उपयोग के लिए प्रवृत्त अपने राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत कस्टम शुल्कों, आबकारी करों, निरीक्षण शुल्कों तथा ऐसे ही शुल्कों तथा प्रभारों से छूट प्रदान करेगा।

2. इस अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई छूटें केवल तब स्वीकृत की जायेंगी यदि पैरा 1 में संदर्भित मदें:

(क) अन्य पक्ष की नामित एयरलाइन द्वारा अथवा उसकी ओर से उस पक्ष के राज्यक्षेत्र में लाए गए हों;

(ख) अन्य पक्ष के राज्यक्षेत्र में आगमन अथवा प्रस्थान पर एक पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के विमान में रखे गए हो ;

(ग) एक पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के विमान पर उड़ान के भीतर अन्य पक्ष के राज्यक्षेत्र में लाए गए हो और सहमत सेवाओं को प्रचालित करने में उपयोग हेतू प्रवृत्त हों।

क्या ऐसी वस्तुएं छूट दिए जाने वाले पक्ष के क्षेत्र के भीतर संपूर्ण रूप से प्रयुक्त या उपभोग की गई हैं बशर्ते उक्त पक्ष के क्षेत्र में ऐसी वस्तुओं का स्वामित्व हस्तांतरणीय नहीं हो।

3. किसी भी पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के विमान पर सामान्यत: रखी गई सामग्री, भंडारण अथवा आपूर्तियों को केवल अन्य पक्ष के राज्यक्षेत्र में उस अन्य पक्ष के सीमाशुल्क प्राधिकारियों के अनुमोदन से उतारा जा सकता है। ऐसी स्थिति में ऐसी मदों को इतने समय तक उक्त प्राधिकारियों के पर्यवेक्षण में रखा जाना अपेक्षित हो जब तक कि सीमा-शुल्कों विनियमनों के अनुसार उनका पुन: निर्यात अथवा अन्यथा निपटान किया जा सके।

अनुच्छेद 11
क्षमता

1. प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा मुहैया कराई जाने वाली क्षमता और प्रचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृति पर दोनों पक्ष सहमत होंगे।

2. प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा मुहैया कराई जाने वाली क्षमता और प्रचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृति में कोई भी वृद्धि, यदि लागू होती है, दोनों पक्षों के बीच सहमति के अध्यधीन होगी। ऐसे किसी करार या समाधान के लम्बित रहते, पहले से लागू क्षमता और आवृति संबंधी पात्रताएं जारी रहेंगी।

3. पूर्ववर्ती उपबंधों के बावजूद, प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइनें पूर्ण तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्वतंत्रता अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार के विमानों से एक दूसरे के राज्यक्षेत्र के बीच कितनी भी संख्या में आल–कार्गो सेवाएं प्रचालित करने की पात्र होंगी, जिसका संबंध मार्ग अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थलों से नहीं होगा। ऐसी आल–कार्गो सेवाओं का प्रचालन किसी अन्य एयरलाइन(एयरलाइनों), जिसमें तीसरे देशों की एयरलाइनें भी शामिल हैं, के साथ कोड शेयरिंग, ब्लॉकड स्पेस आदि जैसे सहकारी विपरण करारों के तहत भी प्रचालित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 12
सहकारी विपणन प्रबंध–व्यवस्था

1. प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करने वाले लागू नियमों एवं विनियमों के अधीन सहकारी विपणन प्रबंध–व्यवस्था, जैसे कि कोड शेयर, ब्लॉक स्पेस तथा कोई अन्य संयुक्त उद्यम प्रबंध, निम्नलिखित कंपनियों के साथ कर करती है:–

(क) उसी पक्ष की एयरलाइन(एयरलाइनें), अथवा
(ख) दूसरे पक्ष की एयरलाइन(एयरलाइनें), अथवा
(ग) किसी तीसरे देश की एयरलाइन(एयरलाइनें)।

2. सहकारी विपणन प्रबंध–व्यवस्था में शामिल एयरलाइन(एयरलाइनों) मार्ग अधिकारों तथा क्षमता हकदारियों समेत अंतर्निहित (अंडरलाइंग) यातायात अधिकार धारित करेंगी तथा ऐसी प्रबंध–व्यवस्था के लिए सामान्यतः लागू अपेक्षाओं को पूरा करेंगी।

3. सहकारी प्रबंध–व्यवस्था में शामिल सभी विपणन एयरलाइन(एयरलाइनों) अंतर्निहित (अंडरलाइंग) मार्ग अधिकार धारित करेंगी तथा ऐसी प्रबंध–व्यवस्था के लिए सामान्यतः लागू अपेक्षाओं को पूरा करेंगी।

4. ऐसी प्रबंध–व्यवस्था के तहत निष्पादित हवाई सेवाओं द्वारा प्रचालित कुल क्षमता की गणना केवल प्रचालन एयरलाइन(एयरलाइनों) को नामित करने वाले पक्ष की क्षमता हकदारियों में से ही

होगी। ऐसी सेवाओं पर विपणन एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा ऑफर की गई क्षमता की गणना उस एयरलाइन को नामित करने वाले पक्ष की क्षमता हकदारियों में से ही की जाएगी।

5. दोनों पक्षों की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों)को कोड शेयर प्रचालनों में शामिल विमानों के बीच विमानों की संख्या, आकार तथा श्रेणी के संबंध में बिना किसी प्रतिबंध के यातायात हस्तांतरित (अर्थात स्टारबर्स्ट)करने की अनुमति होगी।

6. प्रचालनिक एयरलाइन(एयरलाइनों) के अतिरिक्त, दोनों पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी विपणनकर्ता एयरलाइन(एयरलाइनों) से अपेक्षा रख सकते हैं कि वे अनुसूचितयों को अनुमोदनार्थ फाइल करें और सहकारी विपणन करारों के तहत हवाई सेवाएं आरंभ करने से पहले अन्य दस्तावेज मुहैया कराएं

7. ऐसी प्रबंध–व्यवस्था के तहत बिक्री के लिए सेवाओं को होल्ड आउट करते समय, संबंधित एयरलाइन अथवा इसका एजेंट बिक्री के समय खरीददार के समक्ष यह स्पष्ट करेंगे कि कौन–सी एयरलाइन प्रत्येक सेवा सेक्टर पर प्रचालन करेगी तथा किस एयरलाइन(एयरलाइनों) के साथ खरीददार संविदागत संबंध बना रहा है।

8. कोड शेयरिंग सेवाएं मुहैया कराने से पहले, कोड शेयरिंग भागीदार इस पर सहमति देंगे कि कौन–सा पक्ष सुरक्षा, संरक्षा, सुविधा (फेसिलिटेशन) संबंधी दायित्वों और अन्य उपभोक्ता–संबंधी मामलों के लिए उत्तरदायी होंगी। कोड शेयर करारों के क्रियान्वयन से पहले ऐसा एक करार दोनों पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के पास फाइल किया जाएगा।

अनुच्छेद–13
मूल्यकरण

1. इस करार के तहत प्रचालित हवाई सेवाओं के मूल्य स्वतंत्रतापूर्वक स्थापित किए जा सकते हैं और ये अनुमोदन के अध्यधीन नहीं होंगे।

2. प्रत्येक पक्ष अपने राज्यक्षेत्र के लिए और राज्यक्षेत्र से पारवहन के मूल्य के बारे में नामित एयरलाइनों द्वारा प्राधिकारियों को अधिसूचित किए जाने अथवा फाइलिंग किए जाने की अपेक्षा रख सकता है।

3. पूर्ववर्ती उपबंधों के बावजूद, प्रत्येक पक्ष अन्य पक्ष को निम्न के बारे में अधिसूचित करेः

क) ऐसे टैरिफ की रोकथाम, जिसके लागू होने से प्रतिस्पर्धा–रोधी व्यवहार उत्पन्न होता हो जिसका प्रभाव किसी प्रतिस्पर्धी के अधिकारों में कटौती अथवा किसी प्रतिस्पर्धी को किसी मार्ग से हटाए जाने के रूप में हो सकता हो,

ख) उपभोक्ताओं की ऐसे मूल्यों से रक्षा जो किसी प्रभावशाली स्थिति के दुरूपयोग की वजह से अत्यधिक हों या प्रतिरोधक हों, तथा

ग) एयरलाइनों की ऐसे मूल्यों से रक्षा जो नुकसानदायक हों अथवा कृत्रिम रूप से कम हों।

4. इस अनुच्छेद के पैरा(3) में दिए गए उद्देश्यों के लिए प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइनें, अनुरोध होने पर, दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को ऐसे वैमानिकी प्राधिकारियों द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से टैरिफ की स्थापना से संबंधित सूचना उपलब्ध कराएंगी।

5. यदि एक पक्ष यह मानता है कि इस अनुच्छेद के पैरा (3)में निर्धारित किए गए उद्देश्यों के अनुसार दूसरे पक्ष की नामित एयरलाइन द्वारा वसूल किए जाने वाले प्रस्तावित टैरिफ सही प्रतीत होते हैं तो यह विचार विमर्श का अनुरोध कर सकता है और जितनी जल्दी हो सके अपनी असहमति के कारणों को दूसरे पक्ष को अधिसूचित कर सकता है। इस प्रकार के विचार विमर्श अनुरोध के प्राप्त होने से 30 दिनों बाद नहीं किए सकेंगे। यदि पक्ष टैरिफ के संबंध में किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं जिसके लिए असंतुष्ट होने का नोटिस दिया जा चुका है तो प्रत्येक पक्ष करार को प्रभावी बनाने के लिए बेहतर प्रयास करेगा। इस प्रकार के परस्पर करार के बिना पिछले वर्तमान टैरिफ आगे भी लागू होंगे।

अनुच्छेद 14
प्रतिस्पर्धा

1. दोनों पक्ष एक दूसरे को अपने प्रतिस्पर्धा संबंधी कानूनों, नीतियों तथा परिपाटियों अथवा उनमें किए जाने वाले परिवर्तनों, उनके विशिष्ट उद्देश्यों के बारे में सूचित करेंगे, जिनका प्रभाव इस करार के तहत हवाई परिवहन सेवाओं के प्रचालन पर पड़ सकता है, और इनके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी प्राधिकारियों की पहचान करेंगे।

2. जब कभी भी पक्ष यह विचार करते हैं कि उनके प्रतिस्पर्धा संबंधी कानूनों, नीतियों और परिपाटियों तथा इस करार के प्रचालन से संबंधित मामलों में कोई असामंजस्य है तो वे एक दूसरे को सूचित करेंगे।

अनुच्छेद 15
मुद्रा परिवर्तन और आय का प्रेषण

1. प्रत्येक पक्ष अन्य पक्ष की एयरलाइन (एयरलाइनों) को, मांग करने पर, हवाई परिवहन सेवाओं तथा हवाई परिवहन से प्रत्यक्षतः सम्बद्ध गतिविधियों की बिक्री से अर्जित, और स्थानीय रूप से संवितरित राशि से अधिक, सभी स्थानीय राजस्वों को, परिवर्तन और प्रेषण के लिए किए गए अनुरोध की तिथि को लागू विनिमय दरों पर तत्परतापूर्वक अनुमत्त परिवर्तन और प्रेषण के साथ, विदेश में परिवर्तित और हस्तांतरित करने की अनुमति देगा।

2. ऐसे राजस्व के परिवर्तन और प्रेषण की अनुमति लागू कानूनों और विनिमयों के अनुरूप दी जाएगी और ये राजस्व, ऐसे परिवर्तन और प्रेषण को क्रियान्वित करने के लिए बैंकों द्वारा सामान्यतः लगाए गए प्रभारों को छोड़ कर, किसी प्रशासनिक अथवा विनिमय प्रभारों के अधीन नहीं होंगे।

3. इस अनुच्छेद के प्रावधान दोनों पक्षों की एयरलाइनों को उन ड्यूटियों, करों और अंशदानों से छूट प्रदान नहीं करते जिनके अध्याधीन ये एयरलाइनें हैं।

4. यदि दोनों पक्षों के बीच दोहरे कराधान से बचने के उद्देश्य से कोई विशेष करार मौजूद है, अथवा कोई ऐसा विशेष करार है जो उन पक्षों के बीच निधियों के हस्तांतरण को विनियमित करता है, तो ऐसे करार मान्य होंगें।

अनुच्छेद 16
वाणिज्यिक गतिविधियां

1. प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष की एयरलाइनों को प्रत्यक्षतः अथवा एजेंटों अथवा एयरलाइन की पसंद के अन्य मध्यस्थों के माध्यम से, अपने राज्य क्षेत्र में, अतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं की बिक्री और विपणन का अधिकार प्रदान करेगा जिसमें ऑन लाइन तथा ऑफ लाइन दोनों प्रकार के कार्यालय स्थापित करने का अधिकार शामिल होता है।

2. प्रत्येक एयरलाइन को दूसरे देश की स्वतंत्रतापूर्वक परिवर्तनीय मुद्राओं में अथवा उस राज्य क्षेत्र की मुद्रा में उसके राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अध्यधीन, पारवहन की बिक्री करने का अधिकार होगा, और कोई भी व्यक्ति उस एयरलाइन द्वारा स्वीकृत मुद्राओं में ऐसे पारवहन का क्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा।

3. एक पक्ष की नामित एयरलाइन अथवा एयरलाइनों को, पारस्परिकता के आधार पर, अन्य पक्ष के राज्य–क्षेत्र में सहमत सेवाओं के प्रचालन के संबंध में यथोपक्षित, अपने प्रतिनिधियों तथा वाणिज्यिक, प्रचालनिक तथा तकनीकी स्टाफ को नियुक्त करने और बनाए रखने का अधिकार होगा।

4. स्टाफ संबंधी इन अपेक्षाओं को, एक पक्ष की नामित एयरलाइन अथवा एयरलाइनों के विकल्प पर, अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में प्रचालन कर रहे और अन्य एयरलाइनों के लिए ऐसी सेवाएं निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य संगठन, कंपनी की सेवाओं का इस्तेमाल करके अथवा अपने खुद के कार्मिकों द्वारा पूरा किया जा सकता है।

5. ये प्रतिनिधि और स्टाफ अन्य पक्ष के लागू कानूनों तथा विनियमों के अध्यधीन होंगे और ऐसे कानूनों और विनियमों के अनुरूप होंगे।

क) प्रत्येक पक्ष, पारस्परिकता के आधार पर और न्यूनतम विलंब के साथ, इस अनुच्छेद के पैरा 3 में संदर्भित प्रतिनिधियों और स्टाफ को आवश्यक रोजगार प्राधिकरण, पर्यटक, वीजा अथवा ऐसे ही अन्य दस्तावेज प्रदान करेगा; तथा

ख) दोनों पक्ष अधिकतम नब्बे (90) दिनों की कतिपय अस्थाई ड्यूटियों को निष्पादित करने वाले कार्मिकों के लिए प्राधिकरणों की आवश्यकता को सरल और तीव्र करेगा।

अनुच्छेद 17
आंकड़े

प्रत्येक पक्ष, अनुरोध किए जाने पर अन्य पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को, प्रथम पक्ष की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) द्वारा प्रचालित सहमत सेवाओं पर मुहैया कराई गई क्षमता की समीक्षा करने के प्रयोजन से, आंकड़ों की विवरणिका मुहैया कराएगा अथवा नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से मुहैया करवाएगा।

अनुच्छेद 18
अनुसूचियों का अनुमोदन

1. प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइन अन्य पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों के अनुमोदनार्थ, सहमत सेवाओं के प्रचालन से कम से कम तीस(30) दिन पहले, अपनी अभीष्ट उड़ान अनुसूचियां प्रस्तुत करेंगी। यही संशोधन इन अनुसूचियों में किसी भी संशोधन के लिए लागू होगा।

2. अनुपूरक उड़ानें जिन्हें एक पक्ष की नामित एयरलाइन अनुमोदित समय सारणी के बाहर सहमत सेवाओं पर प्रचालित करने की इच्छुक हों, के लिए उस एयरलाइन को दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों से पूर्वानुमति का अनुरोध करना चाहिए। ऐसे अनुरोध प्रायः ऐसी उड़ानों के प्रचालन से कम से कम 15 (पंद्रह) दिन पहले प्रस्तुत किए जाएंगे।

3. यदि विशिष्ट अथवा असाधारण परिस्थितियों की वजह से एक पक्ष की कोई नामित एयरलाइन अपने सामान्य मार्ग(रूटिंग) पर कोई सेवा प्रचालित करने में अक्षम है, तो अन्य पक्ष, दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से निर्णीत किए अनुसार, मार्गों के उपयुक्त अस्थायी पुनः प्रबंध के जरिए ऐसी सेवा के निरंतर प्रचालन के सुगम प्रचालन का भरपूर प्रयास करेगा।

4. एक पक्ष की नामित एयरलाइनों को गैर–विवेकाधिकार आधार पर अन्य पक्ष द्वारा मुहैया कराई गई। एयरवेज, हवाईअड्डों तथा अन्य सुविधाओं का इस्तेमाल करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 19
परामर्श

1. कोई भी पक्ष, किसी भी समय, इस करार की व्याख्या, प्रत्यायोजन, क्रियान्वयन अथवा संशोधन अथवा इस करार के अनुपालन के संबंध में परामर्शों का अनुरोध कर सकता है।

2. ऐसे परामर्श, जो चर्चा के माध्यम से अथवा पत्राचार द्वारा किए जा सकते हैं, दूसरे पक्ष द्वारा लिखित अनुरोध प्राप्त करने से लेकर 60(साठ) दिन की अवधि के भीतर आरंभ होंगे, जब तक कि पक्षों द्वारा अन्यथा सहमति न हो।

अनुच्छेद 20
विवादों का निपटान

1. यदि इन पक्षों के बीच इस करार की व्याख्या अथवा प्रत्यायोजन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो सबसे पहले दोनों पक्ष अपने बीच विचार विमर्श द्वारा इसके समाधान का प्रयास करेंगे।

2. यदि पक्ष वार्ताओं द्वारा विवाद का समाधान करने में विफल रहते हैं, तो इसे राजनयिक माध्यमों (चैनलों) द्वारा सुलझाया जायेगा।

3. इस अनुच्छेद के तहत उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद, जिसे उपरोक्त पैरा 1 या 2 में उल्लिखित प्रक्रियाओं द्वारा सुलझाया नहीं जा सका हो, तो ये विवाद पक्षों की सहमति से किसी व्यक्ति अथवा निकाय को भेजे जा सकते हैं। यदि पक्ष सहमत नहीं होते हैं, तो विवाद को, किसी भी पक्ष के अनुरोध से, निम्नानुसार स्थापित प्रक्रियाओं के अनुरूप मध्यस्थ को प्रस्तुत किया जा सकता है।

4. मध्यस्थता एक निम्नानुसार गठित तीन मध्यस्थों के एक अभिकरण द्वारा की जाएगी :

 क) मध्यस्थता के अनुरोध की प्राप्ति के बाद 30 दिन के भीतर, प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ का नाम बताएगा। इन दो मध्यस्थों का नाम आने के बाद 60 दिन के भीतर, वे सहमति से एक तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करेंगे जो मध्यस्थता अभिकरण के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा।

 ख) यदि कोई भी पक्ष एक मध्यस्थ का नाम बताने में विफल रहता है, अथवा इस पैरा के उप–पैरा (क) के अनुरूप तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं होती है, तो कोई भी पक्ष 30 दिनों के भीतर आवश्यक मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद के अध्यक्ष से अनुरोध कर सकता है। यदि परिषद का अध्यक्ष दोनों पक्षों में से एक पक्ष की राष्ट्रीयता वाला है, तो वरिष्ठतम उपाध्यक्ष जो इस आधार पर अयोग्य न हो, यह नियुक्ति करेगा। अध्यक्ष अथवा वरिष्ठतम उपाध्यक्ष द्वारा इस पैरा के अंतर्गत तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति किए जाने की स्थिति में, उस तीसरे मध्यस्थ की राष्ट्रीयता किसी भी पक्ष की राष्ट्रीयता नहीं होगी।

5. अन्यथा सहमति होने की स्थिति को छोड़कर, मध्यस्थ अभिकरण इस करार के अनुरूप अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करेगा और अपने प्रक्रियागत नियम स्थापित करेगा। एक बार बन जाने के बाद, यह अभिकरण अपने अंतिम निर्णय के लम्बित रहते अंतरिम राहत उपायों की अनुशंसा कर सकता है। अभिकरण के निदेश अथवा किसी भी पक्ष के अनुरोध पर, अभिकरण के पूरी तरह गठित हो जाने के बाद पंद्रह(15) दिनों के भीतर मध्यस्थता के निश्चित मुद्दों तथा अनुसरित की जाने वाली विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए एक बैठक की जाएगी।

6. अन्यथा सहमति होने को छोड़कर अथवा अभिकरण द्वारा यथा निर्देशित, प्रत्येक पक्ष अभिकरण के पूरी तरह गठित होने के समय के 45 दिनों के भीतर एक ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। उत्तर 60 दिन बाद देय होंगे। अभिकरण किसी भी पक्ष के अनुरोध पर अथवा अपनी स्वयं की पहल पर उत्तरों के देय होने के बाद 15 दिन के भीतर एक सुनवाई करेगा।

7. अभिकरण सुनवाई के पूरा होने के 30 दिन के भीतर, अथवा यदि कोई सुनवाई न हुई हो, तो दोनों पक्षों के उत्तर प्रस्तुत किए जाने के बाद, एक लिखित निर्णय प्रदान करेगा। अभिकरण के बहुमत का निर्णय मान्य होगा।

8. दोनों पक्ष निर्णय के लिए जाने के बाद 15 दिन के भीतर निर्णय के स्पष्टीकरण के अनुरोध कर सकती है तथा दिया गया कोई भी स्पष्टीकरण ऐसे अनुरोध के 15 दिन के भीतर जारी किया जाएगा।

9. प्रत्येक पक्ष, अपने राष्ट्रीय कानून के अनुरूप सीमा तक मध्यस्थ अभिकरण के किसी भी निर्णय अथवा अवार्ड को पूर्ण रूप से प्रभावी करेगा।

10. मध्यस्थ अभिकरण के व्ययों को, जिनमें मध्यस्थों के शुल्क तथा खर्चे शामिल हैं, पक्षों द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा। इस अनुच्छेद के पैरा 4 के उपबंध (ख) की प्रक्रियाओं के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद के अध्यक्ष द्वारा किए गए किसी भी व्यय को मध्यस्थ अभिकरण के व्ययों का भाग माना जाएगा।

अनुच्छेद 21
संशोधन

अनुच्छेद 19(परामर्श) के अनुसार पक्षों द्वारा सहमत इस करार का कोई भी संशोधन राजनयिक टिप्पणियों जिनमें यह इंगित किया गया हो कि दोनों पक्षों द्वारा सभी आवश्यक आंतरिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं के आदान–प्रदान द्वारा निर्धारित तिथि से लागू होगा।

अनुच्छेद 22
बहुपक्षीय करार

यदि दोनों पक्षों के संबंध में हवाई परिवहन से संबंधित कोई बहुपक्षीय करार लागू होता है, तो वर्तमान करार को संशोधित किया जाएगा ताकि उस बहुपक्षीय करार के प्रावधानों का अनुपालन हो।

अनुच्छेद 23
इंटरमोडल सेवाएं

प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को, यात्रियों तथा कार्गो के हवाई परिवहन के संबंध में, अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में संबंधित पक्ष के राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अध्यधीन, किसी भी स्थल के लिए अथवा से कोई भी इंटरमोडल परिवहन लगाने की अनुमति होगी। ऐसी एयरलाइन (एयरलाइनें) अपने स्वयं के इंटरमोडल परिवहन को निष्पादित करने अथवा अन्य वाहकों के साथ कोड शेयरिंग समेत करारों के जरिए इसे मुहैया कराने का विकल्प चुन सकती हैं। इंटरममोडल सेवाओं को एक थ्रू सेवा के रुप में अथवा संयुक्त रूप से हवाई और इंटरमोडल परिवहन के लिए एक सकल मूल्य पर पेश किया जा सकता है, बशर्ते यात्रियों और जहाज वाहकों (शिपर्स) को ऐसे पारवहन के प्रदाताओं के बारे में सूचित किया जाए।

अनुच्छेद 24
निरसन

कोई भी पक्ष, किसी भी समय पर, दूसरे पक्ष को इस करार को निरस्त करने के अपने निर्णय के बारे में राजनयिक चैनलों के माध्यम से लिखित में नोटिस दे सकता है। ऐसे नोटिस साथ ही इकाओ को संप्रेषित किया जाएगा। यह करार दूसरे पक्ष द्वारा नोटिस की प्राप्ति की प्रथम वर्षगांठ से तुरंत पहले अधिसूचित पक्ष के स्थानीय समयानुसार अर्धरात्रि को निरस्त होगा, जब तक कि इस नोटिस को इस अवधि की समाप्ति से पहले करार द्वारा वापस ले लिया जाए। दूसरे पक्ष द्वारा प्राप्ति की पावती की अनुपस्थिति में, इस नोटिस को इकाओ द्वारा नोटिस की प्राप्ति के चौदह (14) दिनों बाद प्राप्त हुआ माना जाएगा।

अनुच्छेद 25
इकाओ में पंजीकरण

यह करार और इसका कोई भी संशोधन उस पक्ष द्वारा इकाओ में इसके हस्ताक्षर होने पर पंजीकृत किया जाएगा जिसके राज्य क्षेत्र में इस करार पर हस्ताक्षर किए गए थे अथवा पक्षों द्वारा सहमति दी गई थी।

अनुच्छेद 26
लागू होना

यह करार, दोनों पक्षों के बीच राजनयिक नोट्स के आदान–प्रदान के बाद, लागू होगा, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि प्रत्येक पक्ष ने इस करार तथा इसके अनुबंधों के लागू होने के लिए आवश्यक आंतरिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं।

जिसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरियों ने, अपनी–अपनी सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत हो जाने पर, इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह दिनांक 08 मार्च, 2011 (माह तथा वर्ष) को नई दिल्ली (स्थान) में पुर्तगाली, हिन्दी और अंग्रेजी में, जो प्रामाणिक पाठ होगा में दो मूल प्रतियों में निष्पादित किया गया । निर्वाचन से संबंधित किसी भी मतभेद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

(एंटोनियो अग्वेयर पैट्रियोटा)
कृते ब्राजील गणराज्य की सरकार

(वयलार रवि)
कृते भारत गणराज्य की सरकार